न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(ए) वाद संख्या–14/2016
बिहार सरकार –बनाम– मेसर्स मधुबन रेस्टूरेन्ट

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
26.10.2018	<u>आदेश</u> उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 202/आ0 दिनांक 09.02.2016 से लहेरियासराय थाना कांड सं0–44/2016 में जब्त की गयी एच0पी0 कम्पनी का दो भरा हुआ एवं इण्डेन कम्पनी का 14.2 किलोग्राम का खाली घरेलू सिलेण्डर को जब्त कर अधिहरण हेतु प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारंभ की गयी है। अभिलेख पर संधारित आदेश फलक दिनांक 19.02.2016 के स्पष्ट है कि उक्त जब्त सामग्री (सिलेण्डर एवं गैस) के रख रखाव के अभाव में नष्ट होने की प्रबल संभावना को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को आदेश दिया गया है कि भारत सरकार के अपर सचिव पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र सं0–17011 दिनांक 26.06.2011 के आलोक में जब्त गैस सिलेण्डर के भरे गैस को बिक्री कर खाली सिलेण्डर को संबंधित गैस कम्पनी को उसके प्राधिकृत विक्रेता के माध्यम से उचित प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लौटा दिया जाय तथा गैस बिक्री से प्राप्त राशि को अनुमंडल नजारत में जमा कर दिया जाय। संबंधित पक्षकार को सूचना निर्गत की गयी है। तदालोक में विपक्षी उपस्थित होकर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किये हैं जो अभिलेख पर संधारित है। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत वाद स्थापित विधि के विपरीत दायर किया गया है। उक्त के समर्थन में विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि लहेरियासराय थाना कांड सं0–44/2016 में जब्त सामान आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त सामग्री नहीं है, क्योंकि यह खाद्यान्न नहीं है। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि पणन पदाधिकारी का निरीक्षण जब्त आदि उनका अधिकार नहीं है। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जब्त गैस सिलेण्डर एक महीना से उनके रेस्टूरेन्ट में रखा था। जिसे उनके द्वारा धरेलू उपयोग हेतु ले जाना था। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि लहेरियासराय थाना कांड	

सं0–44/2016 से संबंधित वाद सक्षम न्यायालय में लंबित है। अतः वर्त्तमान समय में इस वाद का संचालन विधि–सम्मत् नहीं है।

विद्वान् विशेष लोक अभियोजक का कथन है कि आदेश फलक में अंतिम आदेश दिनांक 19.02.2016 का अनुपालन अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा के पत्रांक 1693 दिनांक 12.07.2018 से की गयी है तथा संबंधित राशि अनुमंडल नजारत में जमा कर दी गयी है। विद्वान् विशेष लोक अभियोजक का यह भी कथन है कि विपक्षी का स्वमेव कथन है कि उनके रेस्टूरेन्ट में उक्त जब्त सामग्री गैस सिलेण्डर उनके द्वारा घरेलू उपयोग हेतु रखा गया था। अतः संबंधित राशि को राज्यसात् किया जा सकता है।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश फलक के अंतिम आदेश दिनांक 19.02.2016 के अनुपालन में कुल राशि मो0–1680/- रुपये अनुमंडल नजारत में जमा की गयी है, जिसकी नाजिर रसीद 567292 दिनांक 11.07.2018 है तथा संबंधित प्राधिकृत गैस विक्रेता को उनसे प्राप्ति रसीद प्राप्त कर उन्हें गैस सिलेण्डर वापस कर दिया गया है। विपक्षी का स्वमेव कथन है कि उक्त सिलेण्डर घरेलू उपयोग में ले जाने हेतु उनके रेस्टूरेन्ट में महीनों से रखा था, जो निश्चयात्मक रूप से स्थापित विधि के विपरीत है। विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि संबधित थाना कांड सं0–44/2016 के परिप्रेक्ष्य में क्रिमिनल वाद सक्षम न्यायालय में लंबित है।

अतः सम्यक् रूप से विचारोपरान्त मेरा समाधान है कि वर्त्तमान परिदृश्य में संबंधित राशि को राज्यसात् किया जाना यथोचित है। संबंधित राशि कुल मो0–1680/- रुपये को राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है। अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को निदेश दिया जाता है कि संबंधित राशि को विहित शीर्ष में कोषागार के माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करें। लहेरियासराय थाना कांड सं0–44/2016 से संबधित वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के फलाफल के अनुरूप विपक्षी के दावे पर निर्णय लिया जा सकेगा।

आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, सदर दरभंगा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

उक्त विवेचना के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

7/10/18

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा